

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/जोन जोधपुर/एक्स-19-24829/2024/90

दिनांक:- 5/3/24

-:आदेश:-

श्री जगमाल राम, नर्सिंग ऑफिसर, उप जिला चिकित्सालय, ओसिया जोधपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 06.03.2024 से 11.03.2024 तक कुल 06 दिवस विदेश यात्रा दुबई जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक/कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् कार्मिक अपने कर्तव्य पर अविलम्ब उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिक/कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा/करेंगी।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी/अवैधानिक गतिविधियों से संबंध नहीं रखेंगे/रखेंगी।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.35(28)/चिस्वा/ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/जोन जोधपुर/एक्स-19-24829/2024/90

दिनांक:- 5/3/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. उप जिला चिकित्सालय ओसिया जोधपुर।
4. संबन्धित कार्मिका को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5877118

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :05-03-2024 03:47:13